न्यायालय जिला कलक्टर, सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— जसमीत सिंह संधू, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 04/2023 (राजस्व अपील) जी.सी.एम.एस 2023/14

उनवान

1. श्रीमती रतनी बाई पत्नी श्री रतना जी, निवासी झाडोल तहसील सराडा, जिला सलूम्बर(राज.),
2. श्रीमती रूपीबाई पत्नी श्री हीरा जी उम्र वयस्क निवासी बनोडा, तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर(राज.),
3. श्रीमती धापू बाई पत्नी श्री रामजी उम्र वयस्क निवासी डाल, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.),
4. नाथु पुत्र पदमबाई पत्नी श्री लाला जी उम्र वयस्क निवासी मुकाम पोस्ट बनोडा तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर(राज.),
5. उदयलाल पुत्र दलूबाई पत्नी श्री खेम जी उम्र वयस्क निवासी गांव बाणकंला तहसील सराडा जिला सलुम्बर(राज.),
6. भग्गा पुत्र दलू बाई पत्नी श्री खेम जी उम्र वयस्क निवासी वेश्मा गांव बाणकंला तहसील सराडा जिला उदयपुर(राज.)।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. अमरा पिता पैमा जी उम्र बालिंग पेशा काश्त निवासी वेश्मा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.),
2. रूपा पिता पैमा जी उम्र बालिंग पेशा काश्त निवासी वेश्मा, तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.),
3. सरकार जरिये तहसीलदार सलूम्बर, जिला सलूम्बर।

— रेस्पोडेन्ट्स

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

अपील विरूद्ध तहसीलदार सलूम्बर के नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक आदेश 14.12.2001

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक–24.07.2024

अपीलाण्ट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 मय प्रार्थना– पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, मौजा वेश्मा तहसील सलूम्बर में अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता पैमा व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 से 6 के नाना के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषिभूमि आराजी संख्या – 1006, 1038, 1039, 1040, 1043, 1044, 1053, 1053, 1058, 1059, 1075, 1112, 1113, 1384/7, 1387/717, 1395/1074, 1399/1102, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 309, 312, 547, 548, 705, 706, 852, 853, 864, 880, 886, 888, 891, 898, 964, 965, 974, 975, 976, 988 कुल किता 45 रकबा 6.0500 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पैमा पिता हीरा का 1/2 हिस्सा था व पैमा के मरने के बाद उक्त भूमि का विरासत के आधार पर पैदा के दो लडके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अपीलान्ट संख्या 1 से 3 जो कि पैमा की पुत्रीया है व पैमा की दो और पुत्रिया पदमबाई व दलु बाई के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, दर्ज नहीं करके नामान्तरण केवल मात्र पैमा के दोनो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 पैमा की पुत्रिया व अपीलान्ट संख्या 4 से 6 की माता पदमबाई व दलू बाई के नाम भी नामान्तरण खुलना चाहिये था व बाद में पदमबाई व दलू बाई के फौत हो जाने से उनके वारिस रेस्पोडेन्ट नम्बर 4 से 6 के नाम हिस्सा दर्ज होना चाहिये था अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के खानदान का सजरा निम्न है:–

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

|------|------|-------|----------|-------|---------|

अमरा रूपा रतनी बाई रूपीबाई धापूबाई पदमाबाई दलूबाई

| | | | | | |

पुत्र पुत्र पुत्री पुत्री पुत्री पुत्री पुत्री

| |

नाथू उदयलाल(पुत्र)

| |

पुत्र भग्गा(पुत्र)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैमा के 2000 में फौत होने के बाद 2001 में विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को ही वारिस मानते हए भूमि 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज कर दिया जबकि पैमा के कुल सात वारिस है व भूमि 1/7, 1/7 दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियान में उक्त गलत नामान्तरण खोल दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एंव विधि के विपरीत होने से काबिल निरस्त है। अपीलान्ट के पिता पैमा की मृत्यु के बाद विरासत से नामान्तरण पैमा के दो पुत्र व पांच पुत्रियों के नाम नामान्तरण खुलना चाहिये था व नामान्तरण करते वक्त नामान्तरण में सजरा भी दर्शाया गया है व पांचो पुत्रियों का नाम लिखा गया व बाद में रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर पुत्री नही है लिख कर व पुत्रीयों के नाम जो नामान्तरण लिखा गया उसे काट कर केवल पैमा के दोनो पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम ही नामान्तरण खोल दिया जो कि विधि विरूध होने से उक्त नामान्तरण खारिज योग्य है। उक्त भूमि में अपीलान्ट संख्या 1 से 3 का 1/व अपीलान्ट संख्या 4 का 1/7 व अपीलान्ट संख्या 5 व 6 का 1/7 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का 1/7 हिस्सा बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पैमा के दो ही वारिस मानते हुए सम्पूर्ण भूमि दोनो रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी जो गलत हो काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कार्यवाही अभियान में की गई व पटवारी की गलत

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

रिपोर्ट व एस.एल.आर की गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त नामान्तरण खोल दिया जब कि नामान्तरण के पृष्ठ पर पैमा के खानदान का पुरा सजरा दिया गया था व बाद में काटा गया व एस.एल.आर को दिशा निर्देश दिये गये थे कि तुलनात्मक जांच करे व 14.12.2001 को आदेश दिये गये थे व 14.12.2001 को ही नामान्तरण तस्दीक कर दिया गया इससे स्पष्ट है एस.एल.आर द्वारा किसी प्रकार की कोई जांच नही की गई व रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर सम्पूर्ण पैमा की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त कार्यवाही विधि विरूध है व इसके आधार पर जो नामान्तरण खोला गया वो काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण खोलने से पूर्व पैमा के सभी वारिसान को कोई सूचना नहीं दी, न ही उन्हे सुना गया, न ही किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया व रेस्पोडेन्ट के कहे अनुसार सम्पूर्ण भूमि उनके नाम दर्ज कर दी उक्त नामान्तरण न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्त के है। वेश्मा आर.आई द्वारा केवल मात्र पटवारी द्वारा जो नामान्तरण भरा गया उसी को सही मानते हुए रिपोर्ट कर दी जैसा कि नामान्तरण देखने मात्र से पता चलता है कि जिससे स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरण अवैधानिक रूप से रेस्पोडेन्ट को फायदा पंहुचाने की गरज से व अपीलान्ट को उनके हक से महरूम करने के लिये खोला गया है ऐसा विधि विरूद्व नामान्तरण काबिल निरस्त के है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सारी कार्यवाही बिना आधार के बिना पैमा के वारिसान की जांच किये खोला है जो स्पष्ट रूप से काबिल निरस्त के है। उक्त भूमि अपीलान्ट के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि है इससे अपीलान्ट का 1/7, 1/7 हिस्सा है उक्त भूमि का नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम गलत तरीके से खोला गया है व अभी हाल ही में दिनांक 05.08.2022 को कुछ लोग मौके पर रेस्पोडेन्ट के साथ आये व भूमि विक्रय बाबत् बातचीत कर रहे थे जिससे अपीलान्ट द्वारा कहा गया कि हमको हमारी पिता की भूमि नही बैचनी है जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा यह कहा गया कि उक्त भूमि तो हमारे नाम पर दर्ज है तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है तब अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरण की जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो पता चला कि रेस्पोडेन्ट द्वारा उन्हे

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

मुगालते में रख कर पिताजी की सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है उक्त नामान्तरण गलत एवं अवैध नामान्तरण है जिसके संबध में कानूनन् अपील करने की कोई मियाद नही है। लेकिन सुविधा के लिये अपीलान्ट द्वारा अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है वैसे भी इल–लीगल आदेश की अपील पेश करने की कोई मयाद नही होती है कभी भी की जा सकती है। उक्त नामान्तरण गलत होने से खारिज योग्य है।

अतः श्रीमान् न्यायालय से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या–36 निरस्त फरमाया जाकर पैमा के वारिसान में भूमि आती है अपीलान्ट संख्या 1 से 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/7, 1/7 व अपीलान्ट संख्या 4 के नाम 1/7 व अपीलान्ट संख्या 5 व 6 के नाम 1/7 हिस्सा दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया गया कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 36 तारीख 14.12.2001 को स्वीकृत किया गया है। यह नामान्तरण पुरी जांच के बाद खोला जाकर स्वीकृत किया गया है तथा इस नामान्तरकरण के स्वीकृत होने के बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 अमरा ने रमेश पिता डूंगरी डांगी को जाति रश्म रिवाज अनुसार गोद लिया है गोद की सभी रश्में अदा की है। जिसमें अपीलान्ट्स भी शामिल हुई है व गोदनामा तारीख 20.01.2016 को निष्पादित करा दिये है व इसके बाद तारीख 09.07.2019 को रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 अमरा ने अपने गोद पुत्र रमेश के पक्ष में दान–पत्र निष्पादित करा रजिस्ट्री करा दी है व कब्जा सौप दिया है। रमेश ही विवादित भूमि का खातेदार व आधिपत्यधारी है। अपीलाण्ट को कथित नामान्तरण की जानकारी होने व

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

विवादित भूमि पर कब्जा रमेश का चला आ रहा है यह जानकारी होते हुऐ अब 22 वर्षो के बाद यह अपील प्रस्तुत की है जो मयाद बाहर है अपीलान्ट ने कथित नामान्तरण की जानकारी तारीख 05.08.2022 को कुछ लोग मौके पर रेस्पोडेण्ट के साथ आये इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित भूमि को विकय करने की बात तारीख 05.08.22 या अन्य किसी तारीख को नहीं की गई है, न रेस्पोडेन्ट इस भूमि को विकय करना चाहता है, न विकय करने की आवश्यकता ही नहीं है। 22 वर्ष तक अपील प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त कारण ही नहीं बताया गया है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपीलाण्ट्स जब तक उक्त गोद पत्र व दान पत्र को सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेवे तब तक इस न्यायालय से कोई दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। नामान्तरण की कार्यवाही समरी प्रोसेडिंग है तथा समरी प्रोसेडिंग में गोद पत्र व दान पत्र जो की रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा दस्तावेज होते हुए नामान्तरण की अपील चलने योग्य नहीं है। इसके बावजुद भी यदि अपीलाण्ट अपना कोई हक व अधिकार विवादित भूमि में जताते है तो उन्हे सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर अपने हक व अधिकारों की घोषणा कराना चाहिये। अतः प्रार्थना है कि अपीलाण्ट की यह अपील खारीज फरमाई जावे। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 श्री रूपा पिता पैमा द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर मौखिक बयान दिया कि " वह अपनी बहन को नियमानुसार हिस्सा देने के लिए सहमत है " व न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरा भाई व हम पांच बहने है जो एक ही पिता की संतान है। हमारे पिता की जायदाद में अगर हमारी पांचो बहनो को हक या हिस्सा दिया जाता है तो मुझ अप्रार्थी क्रम संख्या 2 को किसी प्रकार की आपत्ति नही है। मै स्वयं अपनी पांचो बहनो को हिस्सा देने को तैयार हुं। शपथ–पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट क्रम संख्या 3 तहसीलदार सलूम्बर द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, मौजा वेशमा जमाबन्दी 2060–2063 खाता संख्या 36 में श्री पेमा पिता हीरा 1/2 डूंगा पिता नंगजी डांगी सा.देह खातेदार है। मौजा वेशमा जमाबन्दी 2060–2063 खाता संख्या

जिला कलक्टर
(राज.)

39 मे श्री पेमा पिता हीरा डूंगा पिता नंगजी 2/3, वाला मु.सा. रूपा 1/3 डांगी सा.देह खातेदार। पेमा डांगी की फौत होने से वर्ष 2001 में राजस्व अभियान में मौजा वेश्मा नामान्तरण संख्या 36 दिनांक 14.12.2001 के तहत पेमा के पुत्र अमरा, रूपा के नाम से दर्ज किया गया है। मौजा वेश्मा जमाबन्दी 2060–2063 की खाता संख्या 05 किता 43 रकबा 6.32 हेक्टेयर श्री अमरा, रूपा पिता पेमा 1/2 डूंगा पिता नंगजी 1/2 डांगी खातेदारी दर्ज है। मौजा वेश्मा जमाबन्दी 2060–2063 की खाता संख्या 08 किता 08 रकबा 0.56 हेक्टेयर श्री अमरा, रूपा पिता पेमा 1/3 डूंगा पिता नंगजी 1/3, वाला मु. रूपा 1/3 डांगी खातेदारी दर्ज है। यह कि पेमा डांगी के विधि वारिसान निम्नानुसार है 1. अमरा–पुत्र (2). रूपा–पुत्र (3). रतनी बाई–पुत्री (4). रूपी बाई–पूत्री (5). धापूबाई –पुत्री (6). पदमाबाई–पूत्री – (फोत नाथू पुत्र, लाली पुत्री, नाथी पुत्री, हीर पुत्री) (7). दलूबाई–पुत्री (फोत उदयलाल पुत्र, भग्गा पुत्र, रूपी पुत्री)।

प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया गया एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसे शामिल फाईल किया गया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराया गया एवं न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिसे शामिल फाईल किया गया। हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। मूल पुरूष पेमा डांगी के फौत होने पर तहसीलदार सलुम्बर द्वारा विरासत नामान्तरण संख्या 36 दिनांक 14.12.2001 के तहत पेमा के पुत्र अमरा व रूपा के नाम दर्ज किया गया है। जबकि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार पेमा डांगी के विधिक वारिसानः–1. अमरा–पुत्र (2). रूपा–पुत्र (3). रतनी बाई–पुत्री (4). रूपी बाई–पुत्री (5). धापूबाई –पुत्री (6). पदमाबाई–पुत्री – (फोत नाथू पुत्र, लाली पुत्री, नाथी पुत्री, हीर पुत्री) (7). दलूबाई–पुत्री (फोत उदयलाल पुत्र, भग्गा पुत्र, रूपी पुत्री) है।

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार से प्रथम दृष्ट्या यह साबित होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण को पारित करते वक्त पेमा डांगी के विधिक वारिसान की जांच कर सभी विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण आदेश पारित नहीं किया है। उक्त नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण है।

अतः अपील–अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर मौजा वेश्मा तहसील सलूम्बर के नामान्तरकरण संख्या 36 दिनांक 14.12.2001 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार सलुम्बर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक वारिसानो की जांच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण आदेश पारित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर